उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-07/2020-21

वकील लोहार

बनाम्

सुकदेव लोहार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 18/04/22

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक वकील लोहार, पे0—स्व0 शशि लोहार, सा0—हाहाजोर, थाना—ललमटिया, जिला—गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत किया गया वंशावली प्रमाण पत्र सं0—123/रा0 दिनांक—09.10.2012 एवं 118/रा0 दिनांक—23.08.2016 को रद्द करने एवं वंशावली प्रमाण सं0—25/रा0 दिनांक—23.03.2016 को यथावत रखने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—हाहाजोर नं0—13 के जमाबंदी सं0—2 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत अकलू लोहार, पे0—राखू लोहार वो चतुर लोहार, पे0—कोकिल लोहार वो मंगल लोहार वो दुर्गा लोहार, पे0—शिवनाथ लोहार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत अकलू लोहार एवं चतुर लोहार की मृत्यु नावल्द हो गयी है एवं इसके बाद जमाबंदी रैयत दुर्गा लोहार की भी मृत्यु नावल्द हो गयी है। एक मात्र जमाबंदी रैयत मंगल लोहार के ही वंशज बचे हैं। जमाबंदी रैयत मंगल लोहार अपने पीछे दो पुत्र कालेश्वर लोहार एवं शशि लोहार को छोड़कर फौत कर गये। कालेश्वर लोहार अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः शिबू लोहार, जहीर लोहार एवं लालजी लोहार को छोड़कर फौत कर गये। शशि लोहार अपने पीछे एक मात्र पुत्र वकील लोहार(आवेदक) को छोड़कर फौत कर गये। शिबू लोहार अपने पीछे दो पुत्र देवेन्दर लोहार एवं लखीन्दर लोहार को छोड़कर फौत कर गये। जहीर लोहार की मृत्यु नावल्द हो गयी है। लालजी लोहार अपने पीछे तीन पुत्र राखू लोहार, कार्शः लोहार एवं सुशील लोहार को छोड़कर फौत कर गये। देवेन्दर लोहार को तीन पुत्र मंगल लोहार, अंगद लोहार एवं बाबूलाल लोहार हुए। लखीन्दर लोहार को एक पुत्र मुन्ना लोहार एवं एक पुत्री सरस्वती कुमारी हुए। उनका आगे कथन है कि

आवेदक वकील लोहार ने उक्त जमाबंदी सं0–2 के जमाबंदी रैयत से संबंध प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को आवेदन पत्र दाखिल किया। आवेदन की जाँच अंचल निरीक्षक, बोआरीजोर से कराया गया। जाँच से संतुष्ट होकर वकील लोहार के नाम वंशावली प्रमाण पत्र सं0–25/रा0 दिनांक–05.03.2016 निर्गत किया गया। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी सं0–2 की जमीन का, जब ई0सी0एल0 परियोजना के द्वारा अधिग्रहण किया जाने लगा, तब आवेदक ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत किया गया वंशावली प्रमाण पत्र सं0–25/रा0 दिनांक–25.03.2016 के आधार पर उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा किया गया। उसी समय विपक्षी सुकदेव लोहार, पे0–शंकर लोहार, सा0–हाहाजोर ने भी अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत किया गया वंशावली प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 एवं 118/रा0 दिनांक–23.08.2016 के आधार पर उक्त जमाबंदी सं0–2 की जमीन पर जमाबंदी रैयत अकलू लोहार के नाती के आधार पर दावा किया। विपक्षी सुकदेव लोहार के उक्त दावा के आलोक में ई0सी0एल0 राजमहल ने पत्रांक–603 दिनांक–06.03.2019 से आवेदक वकील लोहार को सूचित किया कि आपके द्वारा दिया गया वंशावली प्रमाण पत्र सं0–25/रा0 दिनांक–05.03.2016 एवं उसके साथ संलग्न आवेदन में आपके द्वारा दावा किया गया है कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार की मृत्यु नावल्द हो गयी है। लेकिन अन्य वंशावली प्रमाण पत्र सं0–118/रा0 दिनांक–23.08.2016 से पता चलता है कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार के वंशज है और अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से भी जाँच कराया गया और पाया गया कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार को वंशज है। उक्त सूचना मिलने के बाद आवेदक के द्वारा महाप्रबंधक ई0सी0एल0 राजमहल हुर्रा (सी0) को आवेदन दिया गया कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने स्वयं प्रमाण पत्र सं0–25/रा0 दिनांक–05.03.2016 जारी किया था। फिर कैसे बिना जाँच कर प्रमाण पत्र सं0–118/रा0 दिनांक–23.08.2016 जारी किया है। आवेदक के आवेदन की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा से कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 को सही बताया गया। जबकि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत किया गया वंशावली प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 एवं 118/रा0 दिनांक–23.08.2016 सही नहीं है। उन्होंने वंशावली प्रमाण पत्र सं–123/रा0

दिनांक–09.10.2012 एवं 118/रा0 दिनांक–23.08.2016 को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हाहाजोर नं0–13 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–02 गत गेंजर सेटलमेंट के खतियान में जमाबंदी रैयत अकलू लोहार, पे0–राखू लोहार वो चतुर लोहार, पे0–कोकिल लोहार वो मंगल लोहार वो दुर्गा लोहार, पे0–शिवनाथ लोहार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत चतुर लोहार एवं दुर्गा लोहार दोनों की नाबल्द मृत्यु हो गयी थी। जबकि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री आशु लोहारिन उर्फ अशुआ लोहारिन उर्फ आशा देवी को छोड़कर फौत कर गये। जमाबंदी रैयत मंगल लोहार भी अपने पीछे अपने दो पुत्र कालेश्वर लोहार एवं शशि लोहार को छोड़कर फौत कर गये। जमाबंदी रैयत अकलू लोहार की पुत्री अशुआ लोहारिन उर्फ आशा देवी की शादी उसके पैतृक गाँव हाहाजोर निवासी शंकर लोहार, पिता–दशरथ लोहार के साथ हुई थी। शंकर लोहार की अपनी पैतृक जमीन मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–05 में है, जिसमें इनके पिता दशरथ लोहार का नाम जमाबंदी रैयत के रूप में दर्ज है। जमाबंदी रैयत अकलू लोहार के नाम से मौजा–हाहाजोर के अलावे मौजा–लीलातरी नं0–11 के जमाबंदी नं0–09 में भी जमीन है। जमाबंदी रैयत अकलू लोहार के मृत्यु के बाद मौजा–लीलातरी के ज़मीन को हड़पने के नियत से मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी रैयत मंगल लोहार के वंशजों देवेन्द्र लोहार एवं अन्य के द्वारा अकलू लोहार के दामाद शंकर लोहार एवं अन्य के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत एक मुकदमा सन् 1983 ई0 में दायर किया गया था, जिसका क्रि0 मि0 केश नं0–455/1983 है। इस मुकदमा में दिनांक–26.10.1983 को पारित आदेश के द्वारा विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष शंकर लोहार का दखल कब्जा घोषित किया गया है। देवेन्द्र लोहार के द्वारा मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 की जमीन को लेकर पुनः एक मुकदमा द0प्र0सं0 की धारा 145 के अन्तर्गत शंकर लोहार के विरूद्ध लाया गया था। जिसका टी0आर0 नं0–54/1987 है। इस मुकदमा में भी न्यायालय के द्वारा दिनांक–10.12.1987 को पारित आदेश के द्वारा विवादित जमीन पर अकलू लोहार के दामाद द्वितीय पक्ष शंकर लोहार का दखल–कब्जा घोषित किया गया है तथा इसमें देवेन्द्र लोहार को बाहरी व्यक्ति बताया गया है। इन दो मुकदमें के बाद पुनः वर्ष 1988 ई0 में वकील लोहार एवं अन्य के द्वारा सुकदेव लोहार, पे0–शंकर लोहार एवं अन्य के

विरूद्ध मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 के संबंध मे एक टाईटल पार्टिशन सुट नं0–22/1988 दायर किया गया था। जिसे न्यायालय के द्वारा दिनांक–09.12.1994 को पारित आदेश से खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त बँटवारा वाद में सिर्फ मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 की जमीन को ही वादी के द्वारा वाद का विषय–वस्तु बनाया गया था, जबकि मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–02 की जमीन का वाद नहीं लाया गया था। न्यायालय के द्वारा उक्त वाद की सम्पति एवं पक्षकार के असंयोजन के दोष से ग्रसित पाकर खारिज कर दिया था। उनका आगे कथन है कि वर्तमान समय में चल रहे सेटलमेंट की प्रक्रिया में खानापुरी के समय मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–02 से संबंधित पर्चा में अकलू लोहार की पुत्री आशु लोहार का नाम एवं तसदीक के दौरान आशु लोहार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके दो पुत्र सुकदेव लोहार वो भीम लोहार तथा दो पुत्री उजला देवी वो विजया देवी पिता–शंकर लोहार का नाम तसदीक पर्चा में जमाबंदी रैयत के रूप में दर्ज है, जिसका जमाबंदी नं0–13(नया) है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–02 के जमाबंदी रैयत अकलू लोहार तथा मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 के जमाबंदी रैयत अकलू लोहार एक ही व्यक्ति थे। जिनकी एक पुत्री आशु लोहारिन उर्फ अशुआ लोहारिन उर्फ आशा देवी थी तथा उसके पति का नाम शंकर लोहार था। आशा देवी अपने पीछे दो पुत्र सुकदेव लोहार एवं भीम लोहार तथा दो पुत्री उजला देवी एवं विजया देवी को छोड़कर फौत हो गयी थी। अपीलकर्त्ता का यह कहना है कि मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–02 के जमाबंदी रैयत अकलू लोहार नावल्द थे, सरासर झुठ एवं गलत है। उनका यह कहना भी गलत एवं मनगढ़त है कि मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 का जमाबंदी रैयत अकलू लोहार एक भिन्न व्यक्ति था। सच्चाई यह है कि उक्त दोनों मौजा के जमाबंदी रैयत अकलू लोहार एक ही व्यक्ति थे, जिनकी एक पुत्री आशा देवी थी, जिसकी शादी हाहाजोर गाँव के शंकर लोहार के साथ हुई थी तथा वर्तमान उत्तरवादी सं0–01 सुकदेव लोहार जमाबंदी रैयत अकलू लोहार का नाती है, जिसका अपना पैतृक जमीन हाहाजोर के जमाबंदी नं0–05 में है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान उत्तरवादी सं0–01 सुकदेव लोहार मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी नं0–02 एवं 05 दोनों से संबंधित है। साथ ही साथ मौजा–लीलातरी के जमाबंदी नं0–09 के जमाबंदी रैयत अकलू लोहार से भी संबंधित है।

अपीलकर्त्ता का यह कथन भी गलत, मनगढ़ंत, आधारहीन एवं अविश्वसनीय है कि पत्रांक–816 दिनांक–23.07.2020 के संदर्भ में दिया गया मुकदमा आवेदक के द्वारा नहीं लड़ा गया था। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 तथा 118/रा0 दिनांक–23.08.2016 बिल्कुल ही सही है तथा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वंशावली प्रमाण पत्र सं0–25/रा0 दिनांक–05.03.2016 अपीलकर्त्ता वकील लोहार के द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है। संबंध प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 एवं वंशावली प्रमाण पात्र सं0–118/रा0 दिनांक–23.08.2016 की सत्यता की जाँच महाप्रबंधक (खनन) अभिकर्त्ता, ई0सी0एल0 हुर्रा (सी0) के अनुरोध पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा किया गया था। सत्यापन के क्रम में इन दोनों ही पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मौजा–हाहाजोर नं0–13 जमाबंदी नं0–02 में अंकित रैयत अकलू लोहार वल्द राखू लोहार नावल्द नहीं थे, बल्कि उन्हें नावल्द मानते हुए संबंध प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 तथा वंशावली प्रमाण पत्र सं0–118/रा0 दिनांक–23.08.2016 को सही पाया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा जाँच के उपरोक्त वंशावली संबंध प्रमाण पत्र सं0–123/रा0 दिनांक–09.10.2012 को सही मानकर पत्रांक–816/सा0 दिनांक–23.07.2020 के द्वारा महाप्रबंधक (खनन) अभिकर्त्ता, ई0सी0एल0 हुर्रा (सी0) को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जाना नियम संगत है। अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल यह अपील तथ्यों से परे एवं भ्रामक है। इसलिए खारिज होने योग्य है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–हाहाजोर नं0–13 जमाबंदी सं0–13 कुल रकवा 21–08–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अकलू लोहार वल्द राखू लोहार वो चतुर लोहार वल्द कोकील लोहार वो मंगल लोहार वो दूरगा लोहार, पेसरान शीबनाथ लोहार के नाम से दर्ज है। आवेदक ने उक्त जमाबंदी पर जमाबंदी रैयत मंगल लोहार के वंशज के आधार पर दावा किया है तथा विपक्षी ने जमाबंदी रैयत अकलू लोहार के नाती के आधार पर दावा किया गया है। आवेदक का कथन है कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार की मृत्यु नावल्द हो गयी है।

जबकि जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार की मृत्यु नावल्द नहीं हुई है। विपक्षी के द्वारा वर्तमान तसदीक सर्वे के मौजा–हाहाजोर के जमाबंदी सं0–13/2 का भी कागजात दाखिल किया गया है, जिसमें उत्तरवादी सुकदेव लोहार एवं अन्य का नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत अकलू लोहार नावल्द नहीं थे। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा महाप्रबंधक (खनन) हुर्रा (सी0) को दिया गया प्रतिवेदन न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–25/रा0 दिनांक–23.03.2016 को रद्द करते हुए आवेदंक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/04

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/04

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:07:19 +05:30
Location: 192.168.29.8